[redacted]

न्यायालय उप जिलाधिकारी देवरिया

[redacted] राजेश्वरी देवी रामसुभग सिंह

[redacted]

उ0 प्र0 सरकार

वाद सं0–T20160520016100, धारा–80 उ0 प्र0 राजस्व संहित
सा0–कुर्मीपट्टी तप्पा–मलसी सरैनी परगना–सिधुवा जोबना
तहसील व जिला–देवरिया।

आदेश

आख्या दिनांक 26.06.2016 व 03.10.2016 प्राप्त होकर संलग्न पत्रावली ह।

मैंने तहसील आख्या एवं पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया। आवेदक द्वारा साक्ष्य के रु
[redacted] खतौनी फसली सन् 1418–1423 के खाता सं0 00221, बैनामा दस्तावेज दिनांक 30.03.2010 की छायाप्र
[redacted] खसरा आ0सं0 259 का खसरा फ0सन् 1423 दाखिल किया गया है। प्राप्त आख्यानुसार राजस्व निरीक्षव
आख्या दिनांक 16.06.2016 जिसे तहसीलदार देवरिया द्वारा 26.06.2016 को अग्रसारित किया गया है
पूर्वाधिकारी द्वारा प्रकरण की विधिवत जांच कराकर नियमों के परिपेक्ष्य में नजरीनक्शा व निर्माण की
विवरण देते हुए आख्या संस्तुति सहित मांगी गयी। जिस पर तहसीलदार ने नायब तहसीलदार की अ
दिनांक 03.10.2016 को अग्रसारित करते हुए प्रेषित किया। नायब तहसीलदार ने अपनी आख्या में उ
किया है कि आ0सं0 259मि0 रकबा 1.011हे0 जिसमें 3.20कड़ी X 1.90 कड़ी अर्थात 61 डि0 में भवन बना
है। भवन तीन मंजिला है। प्रथम तल व द्वितीय तल में 10–10 कमरे तृतीय तल में 6 कमरे जानिब पूरब
स्थित है। शेष भूमि पर 6 फुट उची चाहरदीवारी लगी है। जिसमें सागौन, आम, अर्जून, मोहबीन के पेड़
हुए है। आराजी नजाई में कुछ भाग पर खेल का मैदान एवं साइकिल स्टैण्ड के रूप में प्रयोग होता है।
प्रकार आराजी सं0 259मि0 रकबा 0.247हे0 भूमि अकृषिक प्रयोग किया जाता है। उक्त भूमि को अकृ
घोषित किये जाने की संस्तुति की गयी है। आवेदक द्वारा प्रख्यापन शुल्क हेतु जिलाधिकारी द्वारा निर्ध
वर्तमान दर मु0 13000.00 प्रतिएयर की दर से 0.247हे0 हेतु कुल मालियत 32110.00 रू0 का ट्रेजरी चा
सं054, दिनांक 06.06.2017 द्वारा जमा किया गया है। तहसील आख्या के अनुसार विवादित आराजी
आ0सं0 259मि0 रकबा 0.247हे0 में अकृषिक प्रयोग किये जाने की आख्या दी गयी है, ऐसी स्थिति में विवा
भूमि को अकृषिक घोषित करने में कोई विधिक बाधा नहीं है।

अतः मौजा कुर्मीपट्टी तप्पा मलसी सरैनी परगना सि0जो0 तहसील व जिला देव
की खतौनी फसली वर्ष 1418–1423 के खाता संख्या–00221 पर अंकित आ0सं0 259मि0 के रकबा 0.24
भूमि को कृषि, बागवानी, पशुपालन (जिसमें कुकुट पालन व मत्स्य पालन भी शामिल है) से इतर अकृषिक
में प्रयोग होने के कारण उ0प्र0 राजस्व संहिता की धारा–80 के अन्तर्गत अकृषिक प्रख्यापित किया जाता
तद्नुसार परवाना अमलदरामद जारी हो। आदेश की प्रमाणित प्रति उप निबन्धक देवरिया को प्रेषित की ज
बाद अनुपालन पत्रावली दाख़िल दफ़्तर हो।

दिनांक: 08.06.17

(राकेश सिंह)
उप जिलाधिकारी 8.06.17
देवरिया।